THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The States of Bihar, Madhya Pradesh, Orissa and Rajasthan have made necessary arrangements like identification of Below Poverty Line (BPL) families and issue of special cards, constitution of Vigilance Committees etc. and implemented TPDS w.e.f. 1.6.1997.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस. के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को चावल और गेहुं के आवंटन पर प्रतिबंध लगाया जाना**

490. **श्री अजीत जोगी**:

**श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला**:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता** मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों/संघ राजेय क्षेत्रों को सार्वजनिक विकरण प्रणाली के अंतर्गत चावल और गेहूं के सेबेध में आमतौर पर किए जाने वाले आवंटन पर कोई प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कटौती के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नई योजना उत्तरदायी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या खाद्यात्रों के कोटे में वृद्धि करने हेतु विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्रात्प हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की कया प्रतिक्रिया है?

**खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह)**: (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी हां।

(च) आवंटन बढ़ाने से संबंधित अनुरोध की जानकारी देने वाला ब्यौरा विवरण में दिय गया है।

(**नीचे देखिए**)

(ज) सरकार ने अनुपत्र में दिए गए विवरण के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त आवंटन किया है। (**देखिये परिशिष्ट** 182, **अनुपत्र सं** 8)

**विवरण**

**विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अतिरिक्त आवंटन की मांग**

| क्रम सं<br>1 | पत्र संख्या और तारीख<br>2 | राज्य का नाम<br>3 | अनुरोध का ब्यौरा<br>4 |
|---|---|---|---|
| 1. | एफ एस बी 256/97/3, दिनांक 20.3.1997 | असम | बाढ़ राहत के लिए अतिरिक्त 20,000 टन तावल। जिसकी उठान की वैधता 31 अक्तूबर, 1997 तक है |
| 2. | शून्य दिनांक 23.7.1997 | बिहार | बाढ़ राहत के लिए जून के कोटे का प्रयोग न किया गया भाग जारी करना। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | (2) एम एफ एस टी/1/97 दिनांक 15.7.1997 | दम्मू व कस्मीर | चावल और गेहूं के कोटे की अतिरिक्त मांग। |
| 8. | पत्र संख्या शून्य दिनांक 16.6.1997 | कर्नाटक | प्रतिमाह 1,20,000 टन खाद्यात्रों के लिए अगुरोध। |
| 9. | अ स पत्र संख्या 5709/डी-2/96/एफ एड सी एस डी दिनांक 26.8.1997 | लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पूर्व के स्तर पर खाद्यात्रों का आवंटन बहाल करना। | |
| 10. | फैक्स से 374, दिनांक 17.7.1997 | मध्य प्रदेश | भुकम्प राहत के लिए 5000 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन। |
| 11. | | मणिपुर | केन्द्रीय निर्गम मूल्य की दरों पर प्रतिमाह अतिरिक्त 1840 टन चावल और 2590 टन गेहूं। |
| 12. | 1197/2739/पी 4223/एन पी - 170 दिनांक 11.7.1997<br>10 (15)/277, दिनांक 30.8.1997 | महाराष्ट्र<br><br><br><br>महाराष्ट्र | अगस्त,1997 से गेहूं और चावल के कोटे को बढ़ाना।<br><br>अगस्त, 1997 से गेहूं और चावल के कोटे को बढ़ाना। |
| 13. | बी 16011/1/97 एफ सी एस /पार्ट दिनांक 30.7.1997 | मिज्रेरम | 8,000 टन चावल और 2,000 टन गेहूं के पिछले आवंटन को बहाल करना। |
| 14. | 21829/एफ एस एंड सी डब्ल्यू दिनांक 4.7.1997 शून्य<br><br>शून्य | उड़ीसा<br><br>उड़ीसा<br><br>उड़ीसा | बाढ़/चकवात वगैरह के लिए चावल का आवंटन।<br>सूखा राहत के रूप में जून से अक्तूबर तक पांच महीनों के लिए प्रतिमाह 28,000 टन अतिरिक्त चावल।<br>गेहूं के कोटे को 30,000 टन से बढ़ाकर 50.000 टन करना। |
| 15 | डायरी 2773/ओरड/ऐन/97, दिनांक 4.6.1997 | सिक्किम | मई, 97 के 5300 टन चावल और 1100 टन गेहूं के कोटे को बहाल करना। |
| 16 | एफ 2(3)-एफ एस डी /97, दिनांक 10.4.1997 | त्रिपुरा | लंबित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यात्रों के मासिक आवंटन को बढ़ाकर 28,400 टन करना। |
| | 3(17)-एफ एस डी /87, दिनांक 29.51997 | त्रीपुरा | विशेष पांषाहार कार्यक्रम के लिए 5000 टन चावल की अतिरिक्त आवंटन की भांग। |
| | शून्य | त्रिपुरा | 1997-98 के लिए 500 टन चावल का आवंटन। |
| 17 | अ सं पत्र संख्या शून्य दिनांक 5.51997 | तमिलनाडु | मई, 1997 के आवंटन 165000 टन चावल और 22300 टन गेहूं के आवंटन के स्तर को बनाए रखना अर्थात् प्रति भाह 31000 टन चावल और 22300 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन। |
| 18 | 329/29 एफ डेस्क-1/97 दिनांक 2.7.1997 | उत्तक प्रदेश | कुम्भ मेले के लिए गेहूं का विशेष आवंटन। |
| 19 | जी-954/एफ एल दिनांक 25.6.1997 | पश्चिम बंगाल | मई, 1997 के स्तर से खाद्यात्रों के आवंटन में कमी नहीं होनी चाहिए। जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 1997 के लिए 5000 टन खाद्यानों (चावल और गेहूं) का अतिरिक्त आंवटन। |
| 20 | उपलब्ध नहीं | लक्ष्द्वीप | मई. 1997 के आंवटन को बनाए रखने के लिए 6300 टन चावल और 500 टने गेहूं का आंवटन।<br>त्यौहार (ओणम) के लिए 1000 टन गेहूं का आंवटन। |
| 21 | अं.सं. पत्र संख्या 201/डी.सी.एस. /एल.ए.एम./97, दिनांक 2.9.1997<br>अ.स.पत्र संख्या 2002 /डी.सी.एस. / दिनांक 2.9.1997<br>अ.स.पत्र संख्या 5771/डी.सी.एस. /बी. 1/97, पी.एफ.-2, दिनांक 9.9.1997<br>15586/डी.सी.एस./97/बी.-1, दिनांक शून्य | पांडिचेरी<br><br>पांडिचेरी<br><br><br>पांडिचेरी<br><br><br>पांडिचेरी | त्यौहार (ओणम) के लिए 1000 टन गेहूं का आंवटन।<br><br>जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 500 टन गेहूं का आंवटन।<br>सितम्बर के लिए 1500 टन चावल और उसके बाद सितम्बर, 1997 से 600 टन चावल और 300 टन गेहूं का अतिरिक्त आंवटन।<br>बाढ़ के लिए अतिरिक्त कोटा। |